संख्या- 13/202549-3099/35/2025- बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति (बी-पैक्स) का उन्नयन (I/ 1156889/2025)

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता उ0प्र0,
लखनऊ ।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 27 नवम्बर, 2025

विषय: बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति (बी-पैक्स) का उन्नयन'' योजानान्तर्गत प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में |

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- I/291360/2025/लेखा-अ/2025-26/आय-व्ययक,दिनांक 26.09.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2025- 26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-18 के अधीन '' बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति (बी-पैक्स) का उन्नयन'' योजानान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रूपये 1600.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है |

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025- 26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-18 के अधीन '' बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति (बी- पैक्स) का उन्नयन'' योजानान्तर्गत मुख्य लेखाशीर्ष 2425- सहकारिता , 108- अन्य सहकारी समितियों को सहायता, 05-बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति (बी- पैक्स) का उन्नयन, 20- सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रूपये 1600.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि रूपये 400.00 लाख (रूपये चार करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने की मा0 राज्यपाल निम्नलिखित नियमो/शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध</u>

(1) आंकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि आयुक्त् एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0, लखनऊ सुनिश्चित करेंगे एवं धनराशि का आहरण एकमुश्त न कर, अपितु यथावश्यकता चरणों में किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0, लखनऊ प्रश्नगत धनराशि के आहरण से पूर्व योजना विषयक कार्ययोजना/दिशा- निर्देश निर्गत किये जाने की कार्यवाही पूर्ण कर लेंगे तथा धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना विषयक गाइडलाइन/दिशा-निर्देश एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(4) धनराशि के आहरण एवं व्यय तथा सामग्री क्रय आदि के सम्बन्ध में निर्गत शासनादशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(5) स्वीकृत की गयी धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व आयुक्त् एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय व स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त् एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि से यथावश्यकता सामग्री, उपकरण आदि के क्रय हेतु सामाग्री क्रय सम्बन्धी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/ व्यवस्थाओं का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व आयुक्त् एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(8) धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में मितव्ययिता सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) आयुक्त् एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

(10) धनराशि का आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित शासन के पत्र संख्या- I/1144655/2025, दिनांक 17.11.2025 द्वारा निर्गत गाइडलाइन/दिशा-निर्देशों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सहकारिता उ0प्र0, लखनऊ तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ का होगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 व अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय धनराशि रूपये 400.00 लाख (रूपये चार करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-18 के अधीन लेखाशीर्ष 2425- सहकारिता , 108- अन्य सहकारी समितियों को सहायता, 05-बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति (बी- पैक्स) का उन्नयन, 20- सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा |

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं |

भवदीय,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या- (1)/49-3-2025, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/ प्रयागराज।
3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4) वित्त नियंत्रक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ ।
5) प्रबंध निदेशक,उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0 लखनऊ ।
6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन ।
7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।